न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 100 / 2024

वादी :—

गीतादेवी पुत्री स्व. बद्रीनारायण पत्नी अनिल जाति मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती राजबाग सुरसागर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. — सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः—** 23/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4315 / 32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर आई हुई है, जो वादी व अन्य सहखातेदार रीता तुंगरिया, ज्योति, भूपेन्द्रसिंह, रोनक व हंजा की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्तसुंदा भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज सहखातेदार हंजा पत्नी बद्रीनारायण का 1/6 हिस्सा है तथा सहखातेदार हंजा का स्वर्गवास दिनांक 29.11.2014 को हो गया। पद सं. 2 में वंशावली वृक्ष के अनुसार हंजा वादी की माता है तथा हंजा के एक पुत्र मनोज कुमार है जिसका स्वर्गवास वादी की माता हंजा व वादी के पिता बद्रीनारायण के जीवनकाल में ही हो गया। मनोज कुमार के वारिस पत्नी ज्योति व पुत्र रोनक है। स्व. हंजा के उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अलावा कोई अन्य जीवित वारिस नही है। वादी की माता हंजा का स्वर्गवास होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज उनका 1/6 हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार दादी व स्व. मनोज कुमार के वारिस ज्योति व रोनक को निहित हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में हंजा फौत होने से वादी को 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/12 वॉ हिस्सा तथा स्व. मनोज कुमार के वारिस को 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से स्व. मनोज कुमार के वारिस पत्नी ज्योति को 1/24 वॉ हिस्सा व पुत्र रोनक को 1/24 वॉ हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार निहित हुआ। युादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में फौतेदगी म्यूटेशन स्व. हंजा के उपरोक्त वंशावली वृक्ष में वर्णित वारिसान के नाम दर्ज किये जाने हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2023 को पेश किया। जिसके साथ वादी द्वारा अपना शपथ पत्र भी पेश किया। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा स्व. मनोज कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ वादी द्वारा पेश नही किये जाने से स्व. हंजा का फौतेदगी म्यूटेशन स्व. हंजा के उपरोक्त वंशावली वृक्ष में वर्णित वारिसान के नाम

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

दर्ज करने से मना कर दिया तथा मूल प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र वापस वादी को लौटा दिया। वादी द्वारा हल्का पटवारी को बताया कि जब वादी के पिता बद्रीनारायण फौत हुए तो उनके दर्ज फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 7649 में भी मनोज कुमार को फौत होना मानते हुए मनोज कुमार के स्थान पर स्व. मनोज कुमार के वारिस ज्योति व रोनक का नाम दर्ज किया गया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 7649 अपने आपमें प्रमाण है कि मनोज कुमार का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु हल्का पटवारी ने वादी के उक्त निवेदन को भी मानने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 7649 के आधार पर मनोज कुमार फौत होना सक्षम न्यायालय मान सकता है। फिर वादी द्वारा प्रतिवादी से भी सम्पर्क किया तो प्रतिवादी द्वारा भी बिना मनोज कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र के हंजा का फौतेदगी म्यूटेशन हंजा के उपरोक्त वंशावली वृक्ष में वर्णित वारिसान के नाम दर्ज करने से मना कर दिया। जबकि वादी व स्व. मनोज कुमार के वारिस ज्योति व रोनक हंजा फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/12 वॉ हिस्सा व स्व. मनोज कुमार के वारिस पत्नी ज्योति का निहित 1/24 वॉ हिस्सा व पुत्र रोनक का निहित 1/24 वॉ हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज सहखातेदार हंजा का स्वर्गवास दिनांक 29.11.2014 को होने से, कान व स्व. मनोज कुमार के वारिस ज्योति व रोनक स्व. हंजा के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से, हल्का पटवारी व तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्व, हंजा का फौतेदगी म्यूटेशन चादी व स्व. मनोज कुमार के वारिस के नाम दर्ज किये जाने से मना करने पर, स्व. हंजा के वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज 1/6 हिस्से के सम्बंध में वादी व स्व. मनोज कुमार के वारिस ज्योति व रोनक हिन्दू उतराधिकार क़ानून के अनुसार निहित हक व अधिकार के सम्बंध में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी होने से बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टेयर में सहखातेदार स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के दर्ज 1/6 हिस्से के स्थान पर वादी को 1/12 वॉ हिस्से का, ज्योति पत्नी स्व. मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्से का व रोनक पुत्र स्व. मनोज कुमार को 1/24 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। म्यूटेशन दर्ज करने के दौरान स्व. मनोज कुमार के वारिस के पूर्व में दर्ज हिस्से को घोषित उपरोक्त हिस्से में जोड़कर जो हिस्सा बनता है उस हिस्से अनुसार म्यूटेशन दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि में वादीया की माता का नाम बतौर खातेदार हंजा पत्नी बद्रीनारायण 1/6 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 1164 की क्रम सं. 5 पर दर्ज है। गत चौसाला 2068 से 2071 के खाता 186 में खातेदार बद्रीनारायण पुत्र मुगनाराम के फौत होने पर भरे गये विरासत नामा. 7649 के जरिये गीतादेवी पुत्री बद्रीनारायण का नाम राजस्व रेकर्ड में आ चुका है। तथा पुत्र मनोजकुमार के पूर्व में फौत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादिया अपनी माता हंजादेवी जिनका स्वर्गवास दिनांक 29.11.2014 को हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में वादीया की माता का 1/6 हिस्सा है जिसका विरासत नामा. करवाना चाहती है। वादिया के पिता बद्रीनारायण के फौत होने पर भरे गये विरासत नामा. 7649 जरिये वारिसान की पुष्टि होती है। जिसमें गीतादेवी भी ए श्रेणी कानूनी वारिस है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 3 में स्थित भूमि खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टयर में सहखातेदार स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के 1/6 हिस्सा में उनके कानूनी वारिस के रूप में वादीया गीतादेवी का 1/12 हिस्सा, ज्योति पत्नी स्व. मनोजकुमार के पूर्व में दर्ज 1/12 हि. में + 1/24 व रोनक पुत्र स्व. मनोजकुमार के पूर्व में दर्ज 1/12 हि में + 1/24 हिस्सा दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में भूमिधारी सहमत है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीया की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गीतादेवी पुत्री स्व.बद्रीनारायण का पेश किया गया।

वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी की माता हंजादेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श 2 म्यूटेशन सं. 7649 ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की प्रति, प्रदर्श 3 वादी के आधार कार्ड, प्रदर्श 4 वादी के पिता बद्रीनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टयर, हंजा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, बद्रीनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, नामान्तरकरण सं. 7649 की प्रतिलिपि, वादीया का शपथ पत्र, वादीया का आधार कार्ड आदि पेश किये गये। वादीया राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 में स्थित खसरा नंबर 4315/32 रकबा 2.4270 हैक्टयर में सहखातेदार स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से के स्थान पर वादी को 1/12 वां हिस्सा, ज्योति पत्नी स्व. मनोज कुमार को 1/24 वां हिस्सा व रोनक पुत्र स्व. मनोज कुमार को 1/24 वां हिस्से का खातेदार घोषित करवाना चाहती है। वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हैं और ना ही वादीया द्वारा अपने वाद में कही भी सहखातेदारों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। वादीया द्वारा अपने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष से सहखातेदारों के हिस्से प्रभावित हो रहे है। इसलिए सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक था वादग्रस्त भूमि में सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वादीया द्वारा मनोज कुमार को फौत होना बताया है किन्तु वादीया ने अपने शपथ पत्र में मनोज कुमार के फौत होने की दिनांक अंकित नहीं की है, ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया। साथ ही भूमिधारी ने भी वादीया के अनुतोष के अनुसार हिस्सा घोषित करने की सहमति प्रदान की है। किन्तु भूमिधारी ने सजरा रिपोर्ट संलग्न नहीं किया जिससे यह ज्ञात हो कि स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिसान जो वादीया द्वारा वादपत्र में अंकित किये हुये उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भूमिधारी ने सिर्फ पूर्व नामा. सं. 7649 के जरिये जो नाम इन्द्राज हुये उनको वारिसान मान लिया गया किन्तु यह कैसे मान लिया जाए कि उस वक्त सजरा फर्द बनाकर फौतेदगी नामा. स्वीकृत किया गया है। अगर सजरा फर्द

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

रिपोर्ट बनाकर नामा. स्वीकृत किया गया तो उसकी प्रति जवाबदावा के साथ संलग्न नहीं की जिसके अभाव में स्व. हंजा पत्नी बद्रीनारायण के वारिसान का मालूम नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने व दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/11/14 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– गीतादेवी पुत्री स्व. बद्रीनारायण पत्नी अनिल जाति मेघवाल निवासी मेघवाल बस्ती राजबाग सुरसागर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 100/2024

निर्णय **दिनांक :–** 23/12/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने व दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/12/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा